

**Form No. III**  
**फर्द—अहकाम**  
(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय जिला कलक्टर), चित्तौड़गढ़ मुकाम चित्तौड़गढ़

नारायणलाल

बनाम

नानालाल वगैराह

**कार्यवाही अन्तर्गत :**

**97 पंचायतीराज अधिनियम, 1994**

किस्म मुकदमा

निगरानी (पंचायत)

नं०

**002**

सन्

**2024**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
09.09.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील निगराकार हाजिर नहीं। अधिवक्ता निगराकार की आवाज लगवाई गई। हाजिर नहीं। निगराकार स्वयं हाजिर नहीं। आवाज लगवाई गई। गैर-निगराकार हाजिर नहीं। उभयपक्ष पूर्व पेशी दिनांक 11.03.2025 को हाजिर नहीं रहे। उक्त दिवस को न्यायहित में सुनवाई हेतु अवसर दिया गया है, किन्तु आज भी अधिवक्ता निगराकार हाजिर नहीं। न्यायालय समय समाप्त होने से पूर्व पुनः आवाज लगवाई गई। वकील निगराकार हाजिर नहीं। निगराकार स्वयं हाजिर नहीं। इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि निगराकार स्वयं अपने निगरानी के प्रति गम्भीर नहीं है, ऐसी स्थिति में निगराकारान की निगरानी का निगराकारान के व्यतिक्रम में खारीज किये जाने के अतिरिक्त न्यायालय के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं ह। अतः निगराकार की और से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम, 1994 को अदम हाजरी अदम पैरवी खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">-ह०- (आलोक रंजन) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 09.09.2025</p>	

